International Research Vision (Int. Res. Vn.)
ISSN: 2454-3721
Volume 4 Issue 1: 21-22, 2018
Available online http://www.bioglobia.in

भारत के पंचायती राज व्यवस्था में राजनैतिक सशक्तिकरण के बुनियादी मापदण्डों के आधार पर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति

लक्ष्मी कुमारी* और उग्रसेन पाण्डेय
समाजशास्त्र विभाग एस0आर0के0 (पी0जी0) कॉलेज, फिरोजाबाद, उ0 प्र0

***Corresponding author's e-mail: laxmivermasociology@gmail.com**

Received: 03.12.2017 **Accepted: 20.12.2017**

सारांश

भारत में मध्यकालीन काल से महिलाओं को कई अधिकारों से वंचित रखा गया था। जिसके फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति दयनीय होती चली गयी। महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया, तथा उनकी किसी भी क्षेत्र में सहभागिता नहीं होने देते थे और उन्हें पुरूषों के अधीन रखा गया। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ (सुधारने) तथा सशक्तिकरण हेतु कई प्रयास किये गये। एक प्रयास भारत की पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता को महत्व दिया गया। जिससे ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक तथा आर्थिक बल मिला, साथ–साथ महिला भाक्ति की विभिन्न क्षेत्र में सहभागिता से देश के विकास की गति में वृद्धि हुयी।

शीर्षक विश्लेषण

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतवर्ष में पंचायतों का गठन लगभग सभी राज्यों में किया गया। विकास कार्यक्रमों में जन–सहभागिता के महत्व को ध्यान में रखते हुए सन् 1961 में त्रिस्तरीय प्रणाली के आधार पर पंचायतीराज संस्थाओं का गठन विकास कार्यों में जन–सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था । इन संस्थाओं की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर कई प्रयास किये गये ताकि यह विकास में एक अहम् भूमिका निभा सके। 1992 में इन संस्थाओं का पुर्नजागरण संविधान के 73 वें संशोधन के अनुरूप किया गया। इसके फलस्वरूप समस्त राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गयी। यह कहना उचित ही होगा कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी से उनकी राजनैतिक भागीदारी में आशातीत वृद्धि हुई है और महिलाओं की शिरकत से पंचायतें पहले से अधिक सक्रिय और ईमानदारी से कार्य करने लगी हैं।[1–3]

सूचनादात्रियों की राजनीतिक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्रम सं0	प्रश्न	प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
1	आप कितने समय से पंचायत प्रतिनिधि हैं?	5 वर्ष से कम 5 वर्ष से अधिक	204 21	90.67 9.33
2	क्या आपके परिवार में पहले भी कोई पंचायत प्रतिनिधि रहा है?	हाँ नहीं	80 145	35.56 64.44
3	यदि हाँ तो कौन?	बाबा पिता चाचा ससुर दादी माता चाची पति अन्य	4 15 12 9 2 5 3 17 13	5.00 18.75 15.00 11. 25 2.50 6.25 3.75 21.25 16.25
4	पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आपका कार्यकाल कैसा रहा है?	अच्छा बुरा मिश्रित	115 45 65	51.11 20.00 28.89
5	क्या आप पंचायत प्रतिनिधि के लिये अगला चुनाव लड़ेंगी?	हाँ नहीं	215 10	95.56 4.44

तालिका में दिये गये तथ्यों से स्पष्ट होता है कि 90.67 प्रतिशत सूचनादात्री पांच वर्ष से कम अवधि तक पंचायत प्रतिनिधि रही हैं[4,5], जबकि 9.33 प्रतिशत पांच वर्ष से अधिक वर्ष से पंचायत प्रतिनिधि है। 35.56 प्रतिशत सूचनादात्रियों के परिवार में पहले से पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं जबकि 64.44 प्रतिशत ऐसी हैं जिनके परिवार में पहले कोई पंचायत प्रतिनिधि नहीं रहा है। जिन पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार में पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं उनमें उनके सम्बन्धियों में क्रमशः बाबा 5.00, पिता 18.75, चाचा 3.75, ससुर 11.25, दादी 2.50 प्रतिशत, माता 6.25, चाची 15.00, पति 21.25 एवम् अन्य 16.25 प्रतिशत है। 51.11 प्रतिशत सूचनादात्रियों का कार्यकाल अच्छा रहा है जबकि 20.00 प्रतिशत सूचनादात्रियाँ अपने कार्यकाल को बुरा मानती है जबकि 28.89 प्रतिशत महिलाएं अपने कार्यकाल को मिश्रित मानती हैं। 95. 56 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधि अलग चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं जबकि 4.44 प्रतिशत महिला पंचायत प्रतिनिधि पुनः अगला चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है।[6]

प्रकट किया है कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से समाज में एक निश्चित सामाजिक परिवर्तन हुआ है। परिवार तथा समाज में इन महिला सदस्यों का सम्मान बढ़ा है और आगे चलकर महिलाएं अपनी योग्यता तथा आत्मविश्वास के बल पर गाँवों की स्थानीय समस्याओं के समाधान में रूचि लेने लगेगी तो उससे ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को निश्चित रूप से और गति मिलेगी तब महिलाओं की सम्पन्नता का स्वरूप और स्तर जो शहरों में पनप रहा है वह गाँवों में भी उभरता दिखायी देगा। व्यावहारिक रूप से देखा जाये तो यह पता लगता है कि महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी से उनको सामाजिक रूप से भी बल मिलने के साथ आर्थिक आत्म–निर्भरता में वृद्धि हुई है। ग्रामीण विकास के प्रारम्भिक प्रयत्नों से अब तक महिला सशक्तिकरण पर किसी न किसी रूप में विशेष ध्यान जाता रहा है, जिसको ग्रामीण विकास का आधार माना जाता है। किसी न किसी रूप में ग्रामीण महिलाओं को विकास की धारा से जोड़ने में सफल हुए हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं।[7] इन सभी का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अत्यधिक प्रगति हुई है।

निष्कर्ष

भारत में वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति पहले से ठीक हुयी है तथा सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है परन्तु फिर भी कई कमियाँ हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान भारत में महिलाओं की स्थिति का आक्कलन पहले से अच्छा है तथा सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण तथा उनकी सुरक्षा के प्रति जो प्रयत्न देखने को मिल रहा है उससे भविष्य में महिलाओं की स्थिति और अच्छी होने की पूर्ण सम्भावना है।

संदर्भ सूची

1. श्रीनिवास, एम0एन0 (1966): सोसिल चैंज इन मॉडर्न इण्डिया बर्कले एण्ड लंगलेस यूनिवर्सिटी ऑफ कलिफोर्निया प्रेस

2. डी0 राघव (1980): पंचायत एण्ड रूरल डबलपमेन्ट आशीष पब्लिसिंग न्यू दिल्ली

3. सिंह, गजेन्द्रपाल (1999): पंचायती राज व्यवस्था, संकल्पना एवं संविधानिक प्रावधान, प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर

4. विश्व प्रकाश गुप्ता, मोहिनी गुप्ता, (1999): स्वतंत्रता संग्राम और महिलायें, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली

5. डॉ0 सिंह, मनोज कुमार (2000): भारत में सामाजिक परिवर्तन, आदित्य पब्लिशिंग बीना

6. Anand sudhir, S.(2006) % Indian judiciary and social justice,R.P. A journal of Asia for democracy development, A Quarterly journal of SC, Morena (M.P.).

7. डा० अमरनाथ, (2007): नारी का मुक्ति संघ शिरेमाधव पब्लिकेसन्स प्राइवेट लिमिटेड,